



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271422  
CG-DL-E-30032026-271422

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1582]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1582]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

(आयकर)

**का.आ. 1647(अ).**— जबकि, भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में हुए दोहरे कराधान के परिवर्जन और राज्य वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए हुए कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को 26 अप्रैल, 1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया था, और जिसे 15 अक्तूबर, 2013 को ब्रासीलिया में हस्ताक्षरित, प्रोटोकॉल के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपबंध में दिए गए, 24 अगस्त, 2022 को ब्रासीलिया में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल कहा गया है);

और उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख 18 अक्तूबर, 2025 है, जो उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 22 के पैरा 2 के अनुसरण में उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रभावी होने के लिए विधिक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचनाओं की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन पश्चात् होगी;

और उक्त प्रोटोकॉल, अनुच्छेद 22 के पैरा 2 के उप-पैरा (क) में यह उपबंध करता है कि भारत में इस समझौते के उपबंध उस कैलेंडर वर्ष के ठीक पश्चात् आने वाले अप्रैल की पहली तारीख या उसके पश्चात् किसी भी पूर्व वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में प्रभावी होंगे जिसमें संशोधनकारी प्रोटोकॉल प्रभावी होगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंधों को, जैसा कि इसके संलग्न उपाबंध में प्रदर्शित है, भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

[सं. 39/2026 एफ. नं. सीबीडीटी/1/2022-एफ&टीआर-वी अनुभाग-सीबीडीटी(भाग-1)]

श्री भास्कर गोस्वामी, संयुक्त सचिव

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ब्राज़ील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय, जिस पर नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे (अक्तूबर 2013 में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल द्वारा यथा संशोधित), का संशोधनकारी प्रोटोकॉल।

भारत गणराज्य की सरकार और ब्राज़ील संघीय गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और वित्तीय अपवंचन रोकने के लिए अभिसमय, जिस पर नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे (अक्तूबर 2013 में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल द्वारा यथा संशोधित) (जिसे इसके बाद "अभिसमय" कहा गया है), को संशोधित करने की इच्छा से;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

#### अनुच्छेद 1

अभिसमय की प्रस्तावना को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"भारत गणराज्य और ब्राज़ील संघीय गणराज्य,

गैर-कराधान हेतु अवसर सृजन किए बिना अथवा कर अपवंचन अथवा परिहार के माध्यम से कराधान कम करके (तीसरे राज्यों के निवासियों के अप्रत्यक्ष लाभ हेतु इस अभिसमय में प्रदान की गई छूट प्राप्त करने पर केन्द्रित संधि शोपिंग व्यवस्थाओं के माध्यम सहित) आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने के आशय से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:"

#### अनुच्छेद 2

अभिसमय के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित नया पैराग्राफ 2 सम्मिलित किया जायेगा:

"2. यह अभिसमय अनुच्छेद 19, 20, 21, 23, 24, 25 तथा 27 के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को छोड़कर किसी संविदाकारी देश द्वारा उसके निवासियों के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा।"

#### अनुच्छेद 3

अभिसमय के अनुच्छेद 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

#### "अनुच्छेद 2

शामिल कर

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. जिन करों पर यह अभिसमय लागू होगा, वे हैं:

क) भारत के मामले में:

आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला अधिभार भी शामिल है;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जायेगा)

ख) ब्राज़ील के मामले में:

संघीय आयकर;

(जिसे इसके बाद “ब्राज़ील के कर” कहा जायेगा)

3. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् उपर्युक्त करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी सारभूत परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।”

#### अनुच्छेद 4

अभिसमय के अनुच्छेद 3 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

#### “अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

क) “भारत” शब्द का अर्थ है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिनमें भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार शामिल हैं;

ख) “ब्राज़ील” शब्द का अर्थ है - ब्राज़ील संघीय गणराज्य और, जब भौगोलिक अर्थ में उपयोग किया जाता है, तो इसमें ब्राज़ील संघीय गणराज्य के क्षेत्र के साथ-साथ समुद्र-तल का क्षेत्र, उसका उप-क्षेत्र और प्रादेशिक समुद्र के समीप का अति-निकटवर्ती जल-कॉलम भी होता है, जिसमें ब्राज़ील संघीय गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और उसके राष्ट्रीय कानून के अनुरूप, जीवित और गैर-जीवित प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से या नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन के लिए संप्रभु अधिकारों या अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है;

ग) “एक संविदाकारी राज्य” तथा “दूसरा संविदाकारी राज्य” शब्दों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा ब्राज़ील संघीय गणराज्य है;

घ) “व्यक्ति” शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है;

ङ.) “कम्पनी” शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

च) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

छ) “उद्यम” शब्द किसी प्रकार के कारोबार को करने पर लागू होगा;

ज) “अंतर्राष्ट्रीय यातायात” शब्द का अर्थ समुद्री जहाज या वायुयान द्वारा किसी भी परिवहन से है, सिवाय इसके कि जब जहाज या विमान केवल एक संविदाकारी राज्य में स्थानों के बीच कार्यरत हो और जहाज या विमान का संचालन करने वाला उद्यम उस राज्य का उद्यम न हो;

झ) “राष्ट्रिक” शब्द से अभिप्रेत है:

(i) किसी एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाले सभी व्यक्ति;

(ii) सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारियां और संस्थाएं, जिन्हें अपनी इस तरह की हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

ञ) “कर” शब्द से संदर्भ के अनुसार “भारतीय कर” अथवा “ब्राज़ील के कर” अभिप्रेत हैं;

ट) “सक्षम प्राधिकारी” शब्द से अभिप्रेत है:

(i) भारत में, वित्त मंत्री, भारत सरकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) ब्राज़ील में: अर्थव्यवस्था मंत्री, ब्राज़ील के संघीय राजस्व के विशेष सचिव या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

ठ) “राजकोषीय वर्ष” शब्द से अभिप्रेत है:

- (i) भारत के मामले में, अप्रैल की पहली तारीख से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष;
- (ii) ब्राज़ील के मामले में, जनवरी की पहली तारीख से शुरू होने वाला कैलेंडर वर्ष।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस अभिसमय को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह अभिसमय लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य में लागू किए जाने वाले कर कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं।"

### अनुच्छेद 5

अभिसमय के अनुच्छेद 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

### “अनुच्छेद 4

#### निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, विधिक मुख्यालय, निगमन के स्थान, प्रबन्धन के स्थान अथवा इसी स्वरूप के किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और, इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। तथापि, इस शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. जब पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण यदि कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

क) उसे उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

ख) यदि उस राज्य जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चित नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

ग) यदि वह पारंपरिक रूप से दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

घ) यदि वह दोनों राज्यों का निवासी है या दोनों में से किसी का भी नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3. जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है। यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी सहमति की अनुपस्थिति में, ऐसे व्यक्ति को उस सीमा तथा पद्धति जिस पर संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हुए को छोड़कर, इस समझौते के द्वारा कर से किसी प्रकार की राहत अथवा छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।”

### अनुच्छेद 6

अभिसमय के अनुच्छेद 5 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

### “अनुच्छेद 5

#### स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, “स्थायी संस्थापन” पद से कारोबर का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम

का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- क) प्रबंधन का कोई स्थान;
- ख) कोई शाखा;
- ग) कोई कार्यालय;
- घ) कोई कारखाना;
- ड.) कोई कार्यशाला;
- च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई स्थान;
- छ) एक भवन स्थल अथवा निर्माण स्थल अथवा एसेंबली परियोजना जो छह महीने से अधिक समय तक मौजूद रहती है।

3. "स्थाई संस्थापन" शब्द में ये भी शामिल हैं—सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कर्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु वहीं यदि उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी संविदाकारी राज्य के भीतर सम्बंधित राजकोषीय वर्ष में प्रारम्भ या समाप्त होने वाली किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए जारी रहते हों।

4. पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ छ) में संदर्भ के अनुसार, यह निर्धारित करने की दृष्टि से कि क्या छः माह की उपर्युक्त अवधि से अधिक समय हो गया है,

क) जहां किसी संविदाकारी देश का कोई उद्यम अन्य संविदाकारी देश में ऐसे स्थान जो कोई भवन स्थल अथवा निर्माण स्थल, अथवा एसेंबली परियोजना कहलाए, में एक या अधिक अवधियों के लिए गतिविधि करता है, जो कुल 30 दिनों से अधिक हों परंतु छः माह से अधिक ना हों, तथा;

ख) अलग-अलग समय के दौरान एक ही भवन स्थल अथवा निर्माण स्थल, अथवा एसेंबली परियोजना में पहले उल्लेखित उद्यम से संबंधित एक या अधिक उद्यमों द्वारा सम्बंधित गतिविधियां की जाती हैं, प्रत्येक 30 दिनों से अधिक,

ये विभिन्न समयावधियां समुच्चय समयावधि में जोड़ी जाएंगी जिसके दौरान प्रथमोल्लिखित उपक्रम ने उस भवन स्थल अथवा निर्माण स्थल, अथवा एसेंबली परियोजना पर कार्यकलाप चलाए हैं।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

- क) उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
- ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;
- ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;
- घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

ड.) उद्यम के लिए किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

च) उप पैराग्राफ क) से ड) में उल्लिखित कार्यकलापों के किसी संयोजन के लिए केवल बिजनेस के निश्चित स्थान का रखरखाव,

बशर्ते कि ऐसे कार्यकलाप अथवा उप पैराग्राफ च) के केस में बिजनेस के निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकृति के हैं।

5.1. पैराग्राफ 5 बिजनेस के निश्चित स्थान को लागू नहीं होगा जिसे एक उपक्रम द्वारा प्रयोग किया गया है अथवा रखरखाव किया गया है यदि वही उपक्रम अथवा घनिष्ट रूप से संबंधित उपक्रम उसी संविदाकारी राज्य में उसी स्थान अथवा दूसरे स्थान पर बिजनेस कार्यकलाप जारी रखता है तथा

क) वह स्थान अथवा दूसरा स्थान इस अनुच्छेद के उपबंधों के अंतर्गत उपक्रम अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रम हेतु स्थायी संस्थापन का गठन करता है, अथवा

ख) एक ही स्थान पर दो उपक्रमों द्वारा अथवा दो स्थानों पर उसी उपक्रम अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रमों द्वारा किए गए कार्यकलापों के संयोजन से होने वाले समग्र कार्यकलाप प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकृति के नहीं हैं,

बशर्ते कि उसी स्थान पर दो उपक्रमों द्वारा अथवा दो स्थानों पर उसी उपक्रम द्वारा अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रमों द्वारा किए गए बिजनेस कार्यकलाप पूरक कार्यों का गठन करते हैं जो सशक्त बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है।

6. पैराग्राफ 1 एवं 2 के उपबंधों के होते हुए भी, परंतु पैराग्राफ 7 के उपबंधों के शर्ताधीन, जहां एक व्यक्ति एक उपक्रम की ओर से संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा है और ऐसा कार्य करने में, आदतन संविदाओं को अंतिम रूप देता है, अथवा आदतन उन संविदाओं को अंतिम रूप देने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिसे उपक्रम द्वारा बिना सामग्री संशोधन के साधारणतः अंतिम रूप दिया जाता है और ये संविदाएं

क) उस उद्यम के नाम से की जाती है, अथवा

ख) स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए, अथवा प्रयोग के अधिकार प्रदान करने के लिए, उस उपक्रम द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति अथवा यह कि उपक्रम के पास प्रयोग करने का अधिकार है, अथवा

ग) उस उपक्रम द्वारा सेवाओं के उपबंध के लिए,

उस उद्यम को, ऐसे कार्यकलापों के संबंध में जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना समझा जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 5 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित हों, यदि कारोबार के एक निश्चित स्थान से प्रयोग करता है (कारोबार के एक निश्चित स्थान जिसमें पैराग्राफ 5.1 लागू होगा, को छोड़कर), तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा।

7. पैराग्राफ 6 वहां लागू नहीं होगा जहां कार्यरत कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी देश में अन्य संविदाकारी देश के किसी उद्यम की ओर से प्रथमतः उल्लिखित देश में एक स्वतंत्र अभिकरण (एजेंट) के रूप में व्यवसाय करता है तथा उस व्यवसाय की एक सामान्य गतिविधि के रूप में कामकाज करता है। फिर भी, जहां कोई व्यक्ति विशिष्टतः अथवा लगभग विशिष्टतः एक अथवा अधिक उद्यमों की ओर से जिनसे वह करीबी रूप से जुड़ा है कामकाज करता है तो उस व्यक्ति को किसी ऐसे उद्यम के संबंध में, इस पैराग्राफ के अर्थ के भीतर एक स्वतंत्र अभिकरण (एजेंट) नहीं माना जाएगा।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

9. इस अनुच्छेद के उद्देश्यार्थ, कोई व्यक्ति अथवा उद्यम किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर एक का दूसरे पर नियंत्रण हो अथवा दोनों ही किसी एक व्यक्ति अथवा उद्यमों के नियंत्रण में हो। किसी भी सूरत में, किसी व्यक्ति या उद्यम को किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदि वह प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षः दूसरे में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित रखता है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है) अथवा यदि अन्य किसी व्यक्ति या उद्यम का प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति तथा उस उद्यम अथवा दो उद्यमों में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है)।"

### अनुच्छेद 7

अभिसमय के अनुच्छेद 8 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

### "अनुच्छेद 8

जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. किसी परिवहन उद्यम, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में समुद्री यान अथवा वायुयान के परिचालन से आय के प्रासंगिक है, माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर तथा अन्य उपस्कर शामिल हैं) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा कंटेनरों को किराए पर देने से प्राप्त लाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जब तक कि उन कंटेनरों का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर न किया जाए।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

### "अनुच्छेद 8

1. अभिसमय के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभार्य कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

क) लाभांश की सकल राशि का 10 प्रतिशत यदि लाभकारी स्वामी एक कंपनी (साझेदारी के अलावा) है, जो पूरे 365 दिन की अवधि जिसमें लाभांश के भुगतान का दिन शामिल है (उस अवधि की गणना के उद्देश्य से, किसी भी स्वामित्व के परिवर्तन का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जो सीधे तौर पर उस कम्पनी के विलय या विभाजन पुनर्गठन या कानूनी रूप से कंपनी के परिवर्तन से होगा जो शेयर धारक है या लाभांश अदा करती है), में लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी की पूंजी के कम से कम 20 प्रतिशत की सीधे तौर पर धारक है; या

ख) दूसरे सभी मामलों में लाभांश की सकल रकम का 15 प्रतिशत।"

2. अभिसमय के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।"

3. अभिसमय के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 6 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"6. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।"

### अनुच्छेद 9

1. अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 तथा 3 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

क) यदि हितग्राही बैंक है और उपकरण खरीदने या निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कम से कम पांच वर्षों के लिए ऋण दिया गया है तो ब्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत; या

ख) दूसरे सभी मामलों में ब्याज की सकल रकम का 15 प्रतिशत।"

2. अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ क) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया

जाएगा:

“क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत तथा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को, उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण को, केंद्रीय बैंक या किसी एजेंसी (किसी वित्तीय संस्था सहित) को जिनका स्वामित्व पूरी तरह से उक्त सरकार या राजनैतिक उप-प्रभाग के पास है, अदा किए जाने वाले ब्याज पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, जब तक कि उप-पैराग्राफ ख) लागू न हो;”

3. अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 5, 6 तथा 7 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

6. पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट कर की सीमित दर एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज और उस दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किसी स्थाई संस्थापन, जो किसी तीसरे राज्य में स्थित हो, को अदा किए जाने वाले ब्याज पर लागू नहीं होगी यदि ऐसे ब्याज पर दूसरे राज्य में प्रभावी तौर पर उसके मुकाबले में कम दर पर कर लगाया जाता यदि ब्याज उस दूसरे राज्य के उद्यम को सीधे तौर पर अदा किया जाता।

7. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।”

#### अनुच्छेद 10

1. अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“2. तथापि, इस प्रकार के रॉयल्टीज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वे उद्भूत होती हैं, किन्तु यदि रॉयल्टीज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

क) ट्रेड मार्क के उपयोग से उत्पन्न होने वाली रॉयल्टियों अथवा ट्रेड मार्क के उपयोग से सम्बंधित अधिकार से उत्पन्न रॉयल्टियों की सकल रकम का 15 प्रतिशत;

ख) दूसरे सभी मामलों में रॉयल्टीज की सकल रकम का 10 प्रतिशत।”

2. अभिसमय के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 4 तथा 5 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रॉयल्टी का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रॉयल्टी उद्भूत हुई हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस संपत्ति के अधिकार के बारे में रॉयल्टी अदा की गयी हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. रॉयल्टियों को किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां रॉयल्टी अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में दायित्व जिस पर रॉयल्टी प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार की रॉयल्टी इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार की रॉयल्टी उस राज्य में उद्भूत हुआ मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।”

**अनुच्छेद 11**

इस अभिसमय के अनुच्छेद 12 के तुरंत बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद 12-क को जोड़ा जाएगा:

**“अनुच्छेद 12-क**

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. “तथापि, अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के होते हुए भी और अनुच्छेद 8, 16 और 17 के प्रावधानों के शर्ताधीन, एक संविदाकारी राज्य में सृजित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी व उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क” शब्द का अर्थ किसी भी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शी प्रकृति की किसी भी सेवा के एवज में भुगतान से है, जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता है:
  - क) भुगतान करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को;
  - ख) शिक्षण संस्थान में पढ़ाने के लिए या शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए; या
  - ग) एक व्यक्ति के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सेवाओं के लिए एक व्यक्ति द्वारा।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, पैराग्राफ 6 के अध्यक्षीन, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होना माना जाएगा यदि भुगतानकर्ता उस राज्य का निवासी है या यदि वह व्यक्ति जो शुल्क का भुगतान कर रहा है, चाहे वह व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या नहीं, का एक संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन है या एक निश्चित आधार है जिसके संबंध में फीस का भुगतान करने की बाध्यता थी, और ऐसी फीस स्थायी संस्थापन या निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती है।
6. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न नहीं होना माना जाएगा यदि भुगतानकर्ता उस राज्य का निवासी है और उस दूसरे राज्य में स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यवसाय करता है या उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित आधार के माध्यम से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं का निष्पादन करता है और इस तरह की फीस उस स्थायी संस्थापन या निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती है।
7. जहां, अदा करने वाले और तकनीकी सेवाओं के लिए हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई फीस की रकम, उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उन्हें रकम अदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में फीस के आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

**अनुच्छेद 12**

अभिसमय के अनुच्छेद 13 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**“अनुच्छेद 13****पूँजीगत लाभ**

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र सेवाएं निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
3. उस संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों की बिक्री से अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
4. किसी कंपनी में जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, शेरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।
5. पैराग्राफ 1, 2, 3 तथा 4 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है।

**अनुच्छेद 13**

अभिसमय के अनुच्छेद 14 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**“अनुच्छेद 14****स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा :
  - क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा
  - ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित किसी बारह महीने की अवधि में; जो संबंधित राजकोषीय वर्ष में प्रारंभ या शुरू हो रही हो; कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो।
2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में विशेषकर स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

**अनुच्छेद 14**

1. अभिसमय के अनुच्छेद 15 के पैराग्राफ 2 तथा 3 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- “2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी

नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदि :

- क) प्राप्तकर्ता, संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं; और
- ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो।
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, एक रोजगार के संबंध में एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, समुद्री जहाज या वायुयान के नियमित पूरक के एक सदस्य के रूप में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित एक जहाज या विमान पर सवार रहते हुए किया जाता है, दूसरे संविदाकारी राज्य के पूरी तरह भीतर से संचालित जहाज या विमान पर सवार होने को छोड़कर, पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर योग्य होगा। ”

### अनुच्छेद 15

अभिसमय के अनुच्छेद 17 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

### “अनुच्छेद 17

#### कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों।
3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि उस संविदाकारी राज्य में की गई यात्रा दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्रायोजित या उसकी सार्वजनिक निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से, उसके राजनैतिक उपप्रभागों या स्थानीय प्राधिकरणों की सार्वजनिक निधियों सहित, समर्थित हों।

### अनुच्छेद 16

अभिसमय के अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 तथा 3 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“2.

क) पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशनों और अन्य ऐसे पारिश्रमिकों पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा।

ख) तथापि, ऐसी पेंशनों और अन्य ऐसे पारिश्रमिकों पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, यदि वह व्यष्टि उस दूसरे राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी, पेंशनों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर लागू होंगे।

**अनुच्छेद 17**

अभिसमय के अनुच्छेद 23 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**“अनुच्छेद 23**

दोहरे कराधान के निरसन की विधि

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगे (केवल उस सीमा तक कि ये उपबंध उस दूसरे राज्य में कर की मंजूरी इसलिए देते हैं कि वह आय उस दूसरे राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त करने वाली आय भी है), तो प्रथमोल्लिखित राज्य इस निवासी की आय पर लगने वाले कर पर उस दूसरे राज्य में दिए गए आय-कर के बराबर की राशि की सीमा तक कटौती की मंजूरी प्रदान करेगा। तथापि, किसी भी मामले में ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय उस आय को हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2. जहां इस अभिसमय के किसी उपबंध के अनुसार एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय उस राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, वहां फिर भी वह राज्य ऐसी निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट-प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।”

**अनुच्छेद 18**

अभिसमय के अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- “2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये प्रावधान किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थाई संस्थापन के लाभों पर कर की उस दर को लगाने से रोकते हैं, जो प्रथमोल्लिखित राज्य की समान कम्पनी के लाभों पर लगाई गई उन करों की दर से अधिक हों और न ही इसका अर्थ अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल होना समझा जाएगा।”

**अनुच्छेद 19**

अभिसमय के अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- “1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण इस प्रकार का कर लगाया जाएगा जो कि इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह, उन राज्यों के घरेलू कानून में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। इस मामले को उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

**अनुच्छेद 20**

इस अभिसमय के अनुच्छेद 26 के तुरंत बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद 26-क को जोड़ा जाएगा:

**“अनुच्छेद 26-क**

लाभों की पात्रता

1. इस अनुच्छेद में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, एक संविदाकारी राज्य का निवासी किसी लाभ (अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 3 या अनुच्छेद 25 के तहत एक लाभ के अलावा) का हकदार नहीं होगा जो अन्यथा इस अभिसमय द्वारा दिया जाएगा, जब तक कि ऐसा निवासी “अर्हता प्राप्त व्यक्ति” न हो, जैसा कि पैराग्राफ 2 में परिभाषित किया गया है, उस समय लाभ दिया जाएगा।
2. एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी उस समय जब इस अभिसमय द्वारा अन्यथा लाभ दिया जाता, एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति होगा, उस समय, निवासी एक :

क) व्यक्ति;

ख) वह संविदाकारी राज्य, अथवा उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण, अथवा उस राज्य की कोई एजेंसी या संस्था, राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण;

ग) कोई कम्पनी अथवा अन्य संस्था, यदि इसके शेयरों की मुख्य श्रेणी एक या अधिक मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में नियमित तौर पर ट्रेड की जाती है;

घ) एक व्यक्ति, एक व्यक्ति के अलावा, जो संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों द्वारा सहमत एक गैर-लाभकारी संगठन है,

ड.) किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, यदि, उस समय तथा बारह महीने की अवधि के कम से कम आधे दिनों में जिसमें वह समय शामिल है, वे व्यक्ति जो उस संविदाकारी राज्य के निवासी हैं और जो कि उप-पैराग्राफ क) से घ) के तहत इस अभिसमय के लाभों के हकदार हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस व्यक्ति के कम से कम 50 प्रतिशत शेयरों के स्वामी हों।

3.

क) एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार से अर्जित आय के सम्बंध में इस अभिसमय के तहत लाभों का हकदार होगा, चाहे वह निवासी एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति है या नहीं, यदि वह निवासी प्रथमोल्लिखित राज्य में किसी व्यवसाय के सक्रिय संचालन में कार्यरत हो, और उस दूसरे राज्य से प्राप्त आय उस व्यवसाय से उत्पन्न होती हो या उससे आनुषंगिक हो। इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "किसी व्यवसाय का सक्रिय संचालन" में निम्नलिखित गतिविधियां अथवा उनका कोई संयोजन शामिल नहीं होगा:

(i) होल्लिडिंग कम्पनी के रूप में संचालन;

(ii) कम्पनियों के समूह को सम्पूर्ण पर्यवेक्षण अथवा प्रशासन उपलब्ध करवाना;

(iii) सामूहिक वित्तपोषण उपलब्ध करवाना (कैश पूलिंग सहित); अथवा

(iv) निवेश करना अथवा उसका प्रबंधन करना, जब तक कि ये गतिविधियां किसी बैंक अथवा संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमत वित्तीय संस्थान, बीमा उद्यमों अथवा पंजीकृत प्रतिभूति डीलर द्वारा उनके व्यवसाय की सामान्य स्थिति में न की जाती हों।

ख) यदि एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी उस निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में संचालित कारोबारी गतिविधि से आय अर्जित करता है, अथवा किसी सम्बंधित व्यक्ति से दूसरे राज्य में उत्पन्न आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय के सम्बंध में उप-पैराग्राफ क) में वर्णित शर्तें केवल तभी पूरी हुई मानी जाएंगी यदि उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में जिससे वह आय सम्बंधित है, उस निवासी द्वारा संचालित की गई कारोबारी गतिविधि उस निवासी द्वारा अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे सम्बंधित व्यक्ति द्वारा उसी या सहयोगी कारोबारी गतिविधि के सम्बंध में पर्याप्त है। इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ कोई कारोबारी गतिविधि पर्याप्त है या नहीं, वह सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

ग) यह पैराग्राफ लागू करने के लिए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के सम्बंध में सम्बंधित व्यक्तियों द्वारा संचालित गतिविधियां ऐसे निवासी द्वारा संचालित की गई मानी जाएंगी।

4. एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी जो एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति नहीं है तो भी उस लाभ का हकदार होगा जो उस आय के सम्बंध में इस अभिसमय द्वारा अन्यथा दी जाती यदि, उस समय जब लाभ अन्यथा दिया जाएगा और किसी बारह महीने की अवधि के कम से कम आधे दिनों में जिसमें वह समय शामिल है, वे व्यक्ति जो समान लाभार्थी हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस निवासी के कम से कम 75 प्रतिशत शेयरों के स्वामी हों।

5. यदि एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी न तो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अनुसरण में अर्हता प्राप्त व्यक्ति है, न ही पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत लाभों का हकदार है, तो फिर भी दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी जिसमें इस अनुच्छेद के पहले वाले उपबंधों के तहत लाभों से मना किया गया है, इस अभिसमय के ध्येय एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस अभिसमय के लाभ अथवा विशिष्ट आय से सम्बंधित लाभ प्रदान कर सकते हैं, परंतु केवल तभी यदि ऐसा निवासी ऐसे सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तक यह दर्शाता है कि न तो उसके संस्थान, अधिग्रहण अथवा अनुरक्षण, और न ही इसके प्रचालनों के संचालन का उसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इस अभिसमय के तहत लाभों की प्राप्ति था। संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी, जिसको दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा इस पैराग्राफ के अंतर्गत अनुरोध

किया गया है, या तो अनुरोध मंजूर करने से पूर्व अथवा मना करने से पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ विचार विमर्श करेगा।

6. इसके और इस अनुच्छेद के पिछले पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ:

क) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से तात्पर्य है:

(i) किसी भी संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत इस प्रकार स्थापित एवं विनियमित कोई भी शेयर बाज़ार; तथा

(ii) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमत कोई अन्य शेयर बाज़ार;

ख) उन सस्थाओं के सम्बंध में जो कम्पनियां नहीं हैं, "शेयर" शब्द का तात्पर्य हितों से है जो शेयरों के साथ तुलनीय हैं;

ग) "शेयरों का प्रमुख वर्ग" से तात्पर्य किसी उस कम्पनी अथवा सत्ता के शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है जो उस कम्पनी अथवा सत्ता के कुल वोट तथा मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हों;

घ) दो व्यक्ति "संबद्ध व्यक्ति" होंगे यदि कोई एक व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे में कम से कम 50 प्रतिशत के लाभकारी हित का मालिक हो (या, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के शेयरों के कुल वोट और मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत) या वह दूसरा व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्येक व्यक्ति में लाभप्रद हित के कम से कम 50 प्रतिशत (या, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के शेयरों के कुल वोट और मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत) का मालिक हो। किसी भी मामले में, कोई व्यक्ति दूसरे से जुड़ा माना जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर एक का दूसरे पर नियंत्रण हो अथवा दोनों ही किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नियंत्रण में हो।

ङ) "समतुल्य लाभार्थी" शब्द का अर्थ है - कोई भी व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य के घरेलू कानून के तहत उस संविदाकारी राज्य द्वारा दत्त आय के मद के संबंध में लाभ, इस अभिसमय या किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय करार जो इसके समकक्ष हैं या इससे अधिक अनुकूल हैं, इस अभिसमय के तहत आय की उस मद को दिए जाने वाले लाभ का हकदार होगा। यह निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कोई व्यक्ति किसी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश के संबंध में एक समतुल्य लाभार्थी है, उस व्यक्ति को कंपनी समझा जाएगा और लाभांश अदा करने वाली कंपनी की उतनी ही पूंजी धारित करेगा जितनी पूंजी लाभांश के सम्बंध में लाभ का दावा करने वाली कंपनी धारित करती है।

7. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

8.

क) जहां

(i) सम्मिलित कर के संविदाकारी राज्य का उपक्रम दूसरे संविदाकारी राज्य से आय प्राप्त करता है तथा प्रथमोल्लिखित राज्य ऐसी आय को तीसरे क्षेत्राधिकार में स्थित उपक्रम के स्थायी संस्थापन को आरोप्य के रूप में माना जाता है, और

(ii) उस स्थायी संस्थापन को आरोप्य लाभों को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट है,

इस अभिसमय के लाभ आय की किसी मद को लागू नहीं होंगे जिन पर तीसरे क्षेत्राधिकार में कर उस आय के मद की राशि के निचले 15 प्रतिशत से कम हो और उस कर के 60 प्रतिशत से कम है जिसे आय की उस मद पर प्रथमोल्लिखित राज्य में लगाया जा सकेगा यदि वह स्थायी संस्थापन प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित थे। ऐसे मामले में कोई आय, जिस पर इस पैराग्राफ के उपबंध लागू होते हैं, इस अभिसमय के किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी दूसरे राज्य के घरेलू कानूनों के अनुसार करयोग्य रहेंगे।

ख) इस पैराग्राफ के पहले के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि दूसरे राज्य से अर्जित आय स्थायी संस्थापन के जरिए किए गए बिजनेस के सक्रिय चलाने से प्राप्त की गई है अथवा प्रासंगिक है (निर्माण, प्रबंधन अथवा साधारणतः उपक्रम के स्वयं के खाते के लिए निवेश धारण करने के बिजनेस को छोड़कर जब तक कि ये कार्यकलाप बैंक, बीमा उपक्रम अथवा पंजीकृत प्रतिभूति वितरकों द्वारा चलाए गए क्रमशः बैंकिंग, बीमा अथवा प्रतिभूति कार्यकलाप हैं)।

ग) यदि इस अभिसमय के तहत संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त आय की मद के बारे में इस पैराग्राफ के पहले के

उपबंधों के अनुसार इस अभिसमय के अन्तर्गत लाभों को मना किया जाता है तो दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी फिर भी, आय की उस मद के बारे में इन लाभों को प्रदान कर सकते हैं यदि ऐसे निवासी द्वारा अनुरोध की प्रतिक्रिया में ऐसे सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि ऐसे लाभ प्रदान करना उन कारणों को देखते हुए तर्कसंगत है कि ऐसे निवासी ने इस पैराग्राफ की जरूरतों (हानियों का होने जैसी) की संतुष्टि नहीं की। संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी, जिसको दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा पूर्व वाक्य के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, या तो अनुरोध मंजूर करने से पूर्व अथवा मना करने से पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ विचार विमर्श करेगा।

9. इस अभिसमय के अन्य उपबंधों के बावजूद, इस अभिसमय के अंतर्गत आय के किसी मद के संबंध में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मानना समुचित हो कि इस प्रकार का लाभ हासिल करना ही किसी समझौते अथवा संव्यवहार के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ही था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वह लाभ हुआ है, जब तक कि यह सिद्ध नहीं होता हो कि इन परिस्थितियों में उस लाभ का प्रदान किया जाना इस अभिसमय के संगत उपबंधों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुरूप है।

### अनुच्छेद 21

इस अभिसमय की प्रोटोकॉल को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“प्रोटोकॉल

इस बात पर सहमति है कि निम्नलिखित प्रावधान अभिसमय का एक अभिन्न हिस्सा हैं:

#### 1. अभिसमय के संदर्भ में

इस माना गया है कि इस अभिसमय के प्रावधान किसी भी मामले में किसी संविदाकारी राज्य को घरेलू कानूनों के उपबंधों को लागू करने और कर परिहार या अपवंचन, चाहे इस तरह वर्णित हों या नहीं, के संबंध में उपाय करने से नहीं रोकेंगे।

#### 2. अनुच्छेद 2 के संदर्भ में

यह माना जाता है कि ब्राज़ील के मामले में 15 दिसंबर 1988 के कानून 7,689 द्वारा सृजित शुद्ध लाभ पर सामाजिक योगदान (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ क) में निर्दिष्ट करों में शामिल है।

#### 3. अनुच्छेद 3 के संदर्भ में

यह माना गया है कि अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ज) में “कर” शब्द में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी, जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यह अभिसमय लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त कमी, चूक, शास्ति अथवा आर्थिक दंड के लिए देय राशि की कर क्रेडिट देने के लिए गणना नहीं की जाती।

#### 4. अनुच्छेद 9 और 25 के संदर्भ में

यह समझा जाता है कि एक उचित अनुरूप समायोजन करने के लिए एक संविदाकारी राज्य की बाध्यता का प्रावधान करने वाले खंड की अनुपस्थिति में यह नहीं माना जाएगा कि यह एक संविदाकारी राज्य को इस तरह के एक उपयुक्त समायोजन करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए किया गया है, यदि आपसी समझौते की प्रक्रिया के दौरान इस पर सहमति हो गई हो।

#### 5. अनुच्छेद 11 के संदर्भ में

यह समझा जाता है कि, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 4 के संबंध में, ब्राज़ील के कर कानून के अनुसार “कंपनी की इक्विटी पर ब्याज” के रूप में अदा किया गया ब्याज (पुर्तगाली में “juros sobre o capital próprio”) भी अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 4 के प्रयोजनों के लिए ब्याज माना जाता है।

#### 6. अनुच्छेद 12-क के संदर्भ में

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 12-क के पैराग्राफ 3 के प्रावधान तकनीकी सहायता के प्रतिपादन के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार के भुगतान पर लागू होंगे।

**7. अनुच्छेद 20 के संदर्भ में**

यह समझा जाता है कि शब्द "संग्रहालय या अन्य सांस्कृतिक संस्थान" केवल ऐसे संगठनों को संदर्भित करेगा, जिन्हें संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया है।

**8. अनुच्छेद 24 के संदर्भ में**

क) यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 5 के प्रावधान का अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के साथ कोई टकराव नहीं है।

ख) यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 में यथा परिभाषित रॉयल्टी की कटौती के परिसीमन पर ब्राज़ील के कर कानून के प्रावधान का अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के तहत एक स्थायी संस्थापन की कर योग्य आय का निर्धारण करते समय वर्तमान अभिसमय के अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के साथ टकराव नहीं है।"

**अनुच्छेद 22**

.1 प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा।

2. यह प्रोटोकॉल इस पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के 30वें (तीसवें) दिन प्रवृत्त होगा और प्रभावी होगा:

क) भारत में:

जिस कैलेंडर वर्ष में यह प्रोटोकॉल लागू होता है उसके ठीक उत्तरवर्ती कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी विगत वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में;

ख) ब्राज़ील में,

(i) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है उस के ठीक उत्तरवर्ती कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई राशियों के लिए;

(ii) इस अभिसमय में शामिल अन्य करों के संबंध में, जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है उस के ठीक उत्तरवर्ती कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले करयोग्य वर्ष के लिए।

**अनुच्छेद 23**

यह प्रोटोकॉल ऐसे समय में प्रभावी होना बंद हो जाएगा जब इस अभिसमय के अनुच्छेद 29 के अनुसार यह अभिसमय प्रभावी होना बंद हो जाता है।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2022 के महीने के 24वें दिन को हिन्दी पुर्तगाल और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पादित सभी तीनों पाठ समान रूप से प्रमाणिका अर्थ निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

ब्राज़ील संघीय गणराज्य  
के लिए

भारत गणराज्य  
के लिए

कार्लास अल्बर्टो फ्रेंको फ्रान्सा  
विदेश मंत्री

एस जयशंकर  
विदेश मंत्री

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2026

**(Income-Tax)**

**S.O. 1647(E).**—Whereas, the Protocol, amending the Convention and the Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Federative Republic of Brazil for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, which was signed at New Delhi on the 26<sup>th</sup> April, 1988, as amended by the Protocol signed at Brasilia on the 15<sup>th</sup> October, 2013, was signed at Brasilia on the 24<sup>th</sup> August, 2022, as set out in the Annexure appended to this notification (hereinafter referred to as the said Amending Protocol);

And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is the 18<sup>th</sup> October, 2025, being 30th day after the date of the receipt of the later of the notifications of the completion of the legal requirements and procedures for entry into force of the said Amending Protocol in accordance with paragraph 2 of Article 22 of the said Amending Protocol;

And whereas, sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 22 of the said Protocol provides that the provisions of this Agreement shall have effect in India in respect of income arising in any previous year on or after the first day of April immediately following the calendar year in which the Amending Protocol enters into force.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Amending Protocol, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India.

[No. 39/2026 F. No. CBDT/1/2022-FT&amp;TR-V Section-CBDT(Part-1)]

Shri BHASKAR GOSWAMI, Jt. Secy.

**PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, SIGNED AT NEW DELHI ON 26 APRIL 1988 (AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED IN OCTOBER 2013)**

The Government of the Republic of India and the Government of the Federative Republic of Brazil,

Desiring to amend the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at New Delhi on 26 April 1988 (as amended by the protocol signed in October 2013) (hereinafter referred to as “the Convention”);

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1**

The preamble to the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“The Republic of India and the Federative Republic of Brazil,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:”

**ARTICLE 2**

The following new paragraph 2 shall be included in Article 1 of the Convention:

“2. This Convention shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents except with respect to the benefits granted under Articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 and 27.”

**ARTICLE 3**

Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

**“ARTICLE 2**

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. The taxes to which the Convention shall apply are:
  - a) in the case of India:  
the income tax including any surcharge thereon;  
(hereinafter referred to as "Indian tax");
  - b) in the case of Brazil:  
the federal income tax  
(hereinafter referred to as "Brazilian tax").
3. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the abovementioned taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.”

#### ARTICLE 4

Article 3 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

#### ARTICLE 3

#### General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
  - a) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction according to the Indian law and in accordance with international law;
  - b) the term “Brazil” means the Federative Republic of Brazil and, when used in a geographical sense, means the territory of the Federative Republic of Brazil, as well as the area of the sea-bed, its subsoil and the superjacent water column adjacent to the territorial sea, wherein the Federative Republic of Brazil exercises sovereign rights or jurisdiction in conformity with international law and its national legislation for the purpose of exploring, exploiting, conserving and managing the living and non-living natural resources or for the production of energy from renewable sources;
  - c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" means the Republic of India or the Federative Republic of Brazil, as the context requires;
  - d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
  - e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
  - f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
  - g) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
  - h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft, except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;
  - i) the term “nationals” means:
    - (i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;
    - (ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State;
  - j) the term "tax" means Indian tax or Brazilian tax, as the context requires

- k) the term "competent authority" means:
- (i) in India: the Finance Minister, Government of India or his authorized representative;
  - (ii) in Brazil: the Minister of Economy, the Special Secretary of the Federal Revenue of Brazil or their authorized representative;
- l) the term "fiscal year" means:
- (i) In the case of India: the financial year beginning on the first day of April;
  - (ii) In the case of Brazil: the calendar year beginning on the first day of January

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies and any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State."

#### **ARTICLE 5**

Article 4 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

#### “ARTICLE 4

##### Resident

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, legal head office, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. When by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the Competent Authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States."

#### **ARTICLE 6**

Article 5 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

#### “ARTICLE 5

##### Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop;
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or other place of extraction of natural resources;
- g) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months.

3. The term "permanent establishment" also encompasses the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.

4. For the sole purpose of determining whether the six month period referred to in subparagraph g) of paragraph 2 has been exceeded,

- a) where an enterprise of a Contracting State carries on activities in the other Contracting State at a place that constitutes a building site or construction or assembly project and these activities are carried on during one or more periods of time that, in the aggregate, exceed 30 days without exceeding six months, and;
- b) connected activities are carried on at the same building site or construction or assembly project during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the first-mentioned enterprise,

these different periods of time shall be added to the period of time during which the first-mentioned enterprise has carried on activities at that building site or construction or assembly project.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e),

provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

5.1. Paragraph 5 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

- a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or
- b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, but subject to the provisions of paragraph 7, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are

- a) in the name of the enterprise, or
- b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or
- c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 5.1 would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

7. Paragraph 6 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

9. For the purposes of this Article, a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises."

#### **ARTICLE 7**

Article 8 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

#### **“ARTICLE 8**

#### **Shipping and Air Transport**

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise which is incidental to the income from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency."

#### **ARTICLE 8**

1. Paragraph 2 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident

of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 20 per cent of the capital of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a merger or divisive reorganisation, or from a change of legal form, of the company that holds the shares or that pays the dividend); or
- b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.”

2. Paragraph 4 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.”

3. Paragraph 6 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.”

#### ARTICLE 9

1. Paragraphs 2 and 3 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 10 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a bank and the loan has been granted for at least five years for the financing of the purchase of equipment or of investment projects; or
- b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.”

2. Subparagraph a) of paragraph 3 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“a) interest arising in Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State, a political subdivision or local authority thereof, the Central Bank or any agency (including a financial institution) wholly owned by that Government or political subdivision shall be exempt from tax in the first-mentioned State, unless subparagraph b) applies;”

3. Paragraphs 5, 6 and 7 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. The tax rate limitation provided for in paragraph 2 shall not apply to interest arising in a Contracting State and paid to a permanent establishment of an enterprise of the other Contracting State which is situated in a third State if such interest is effectively taxed at a lower rate in the other State than it would be if the interest was directly paid to the enterprise of that other State.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed

base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.”

#### ARTICLE 10

1. Paragraph 2 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 15 per cent of the gross amount of the royalties arising from the use or the right to use trademarks;
- b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.”

2. Paragraphs 4 and 5 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.”

#### ARTICLE 11

The following new Article 12-A shall be inserted immediately after Article 12 of the Convention:

##### “ARTICLE 12-A

##### Fees for technical services

1. Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, notwithstanding the provisions of Article 14 and subject to the provisions of Articles 8, 16 and 17, fees for technical services arising in a Contracting State may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but the beneficial owner of the fees is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the fees.

3. The term “fees for technical services” as used in this Article means any payment in consideration for any service of a managerial, technical or consultancy nature, unless the payment is made:

- a) to an employee of the person making the payment;
- b) for teaching in an educational institution or for teaching by an educational institution; or
- c) by an individual for services for the personal use of an individual.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise through a permanent establishment situated in that other State, or performs in the other Contracting State independent personal services from a fixed base situated in that other State, and the fees for technical services are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. For the purposes of this Article, subject to paragraph 6, fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State if the payer is a resident of that State or if the person paying the fees, whether that person is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the fees was incurred, and such fees are borne by the permanent establishment or fixed base.

6. For the purposes of this Article, fees for technical services shall be deemed not to arise in a Contracting State if the payer is a resident of that State and carries on business in the other Contracting State

through a permanent establishment situated in that other State or performs independent personal services through a fixed base situated in that other State and such fees are borne by that permanent establishment or fixed base.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of the fees for technical services or between both of them and some other person, the amount of the fees, having regard to the services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the fees shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.”

#### ARTICLE 12

Article 13 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

#### “ARTICLE 13

##### Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6, which is situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or of movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4. Gains from the alienation of shares in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.
5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 may be taxed in both Contracting States.”

#### ARTICLE 13

Article 14 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

#### “ARTICLE 14

##### Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
  - a) If he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
  - b) If his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.”

#### ARTICLE 14

1. Paragraphs 2 and 3 of Article 15 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
  - “2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
  - b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
  - c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.”

#### **ARTICLE 15**

Article 17 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

#### “ARTICLE 17

#### Artistes and sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as theatre, motion picture, radio or television artist, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by an entertainer or a sportsperson if the visit to that Contracting State is substantially supported by public funds of, or sponsored by the other Contracting State, including those of any political subdivision or local authority.”

#### **ARTICLE 16**

Paragraphs 2 and 3 of Article 19 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2.

- a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  - b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.”

#### **ARTICLE 17**

Article 23 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

#### “ARTICLE 23

#### Methods for the elimination of double taxation

1. Where a resident of a Contracting State derives income which may be taxed in the other Contracting State, in accordance with the provisions of this Convention (except to the extent that these provisions allow taxation by that other State solely because the income is also income derived by a resident of that State), the first-mentioned State shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other State. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in that other State.
2. Where, in accordance with any provision of this Convention, income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.”

**ARTICLE 18**

Paragraph 2 of Article 24 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2. The taxation of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7.”

**ARTICLE 19**

Paragraph 1 of Article 25 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.”

**ARTICLE 20**

The following new Article 26-A shall be inserted immediately after Article 26 of the Convention:

**“ARTICLE 26-A****Entitlement to benefits**

1. Except as otherwise provided in this Article, a resident of a Contracting State shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Convention (other than a benefit under paragraph 3 of Article 4 or Article 25) unless such resident is a “qualified person”, as defined in paragraph 2, at the time that the benefit would be accorded.
2. A resident of a Contracting State shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Convention if, at that time, the resident is:
  - a) an individual;
  - b) that Contracting State, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of that State, political subdivision or local authority;
  - c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges;
  - d) a person, other than an individual, that is a non-profit organisation agreed upon by the competent authorities of the Contracting States,
  - e) a person other than an individual if, at that time and on at least half of the days of a twelve-month period that includes that time, persons who are residents of that Contracting State and that are entitled to benefits of this Convention under subparagraphs a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person.
3.
  - a) A resident of a Contracting State shall be entitled to benefits under this Convention with respect to an item of income derived from the other Contracting State, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned State and the income derived from the other State emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of this Article, the term “active conduct of a business” shall not include the following activities or any combination thereof:
    - (i) operating as a holding company;
    - (ii) providing overall supervision or administration of a group of companies;
    - (iii) providing group financing (including cash pooling); or
    - (iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank or

financial institution agreed upon by the competent authorities of the Contracting States, insurance enterprise or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such.

- b) If a resident of a Contracting State derives an item of income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting State, or derives an item of income arising in the other State from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned State to which the item is related is substantial in relation to the same or complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting State. Whether a business activity is substantial for the purposes of this paragraph shall be determined based on all the facts and circumstances.
  - c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting State shall be deemed to be conducted by such resident.
4. A resident of a Contracting State that is not a qualified person shall nevertheless be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Convention with respect to an item of income if, at the time when the benefit otherwise would be accorded and on at least half of the days of any twelve-month period that includes that time, persons that are equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at least 75 per cent of the shares of the resident.
5. If a resident of a Contracting State is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 2 of this Article, nor entitled to benefits under paragraph 3 or 4, the competent authority of the Contracting State in which benefits are denied under the previous provisions of this Article may, nevertheless, grant the benefits of this Convention, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of this Convention, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under this Convention. The competent authority of the Contracting State to which a request has been made, under this paragraph, by a resident of the other State, shall consult with the competent authority of that other State before either granting or denying the request.
6. For the purposes of this and the previous paragraphs of this Article:
- a) the term “recognised stock exchange” means:
    - (i) any stock exchange established and regulated as such under the laws of either Contracting State; and
    - (ii) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States;
  - b) with respect to entities that are not companies, the term “shares” means interests that are comparable to shares;
  - c) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company or entity which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or entity;
  - d) two persons shall be “connected persons” if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) in each person. In any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.
  - e) the term “equivalent beneficiary” means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting State under the domestic law of that Contracting State, this Convention or any other international agreement which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under this Convention. For the purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to dividends received by a company, the person shall be deemed to be a company and to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds.
7. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of

application of this Article.

8.

a) Where

- (i) an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and the first-mentioned State treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction, and
- (ii) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-mentioned State,

the benefits of this Convention shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than the lower of 15 per cent of the amount of that item of income and 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned State on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-mentioned State. In such a case any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other State, notwithstanding any other provisions of the Convention.

- b) The preceding provisions of this paragraph shall not apply if the income derived from the other State emanates from, or is incidental to, the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise's own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively).
- c) If benefits under this Convention are denied pursuant to the preceding provisions of this paragraph with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of this paragraph (such as the existence of losses). The competent authority of the Contracting State to which a request has been made under the preceding sentence shall consult with the competent authority of the other Contracting State before either granting or denying the request.

9. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention."

## ARTICLE 21

The Protocol to the Convention shall be deleted and replaced by the following:

### **"Protocol**

It is agreed that the following provisions constitute an integral part of the Convention:

#### **1. With reference to the Convention**

It is understood that the provisions of this Convention shall in no case prevent a Contracting State from the application of the provisions of its domestic laws and measures concerning tax avoidance or evasion, whether or not described as such.

#### **2. With reference to Article 2**

It is understood that in the case of Brazil the social contribution on the net profits (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL) created by Law 7,689 of 15 December 1988 is included in the taxes referred to in subparagraph a) of paragraph 2 of Article 2.

#### **3. With reference to Article 3**

It is understood that the term "tax" in subparagraph j) of paragraph 1 of Article 3 shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this

Convention applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes. Further, the amounts payable for the aforementioned default, omission, penalty or fine shall not be taken into account for giving tax credit.

**4. With reference to Articles 9 and 25**

It is understood that the absence of a clause providing for an obligation of a Contracting State to make an appropriate corresponding adjustment cannot be construed so as to hinder a Contracting State to make such an appropriate adjustment if it has been agreed to in the course of a mutual agreement procedure.

**5. With reference to Article 11**

It is understood that, in respect of paragraph 4 of Article 11, interest paid as “interest on the company’s equity” (“juros sobre o capital próprio” in Portuguese) in accordance with Brazilian tax law is also considered interest for the purposes of paragraph 4 of Article 11.

**6. With reference to Article 12-A**

It is understood that the provisions of paragraph 3 of Article 12-A shall apply to payments of any kind received as consideration for the rendering of technical assistance.

**7. With reference to Article 20**

It is understood that the terms "museum or other cultural institution" shall refer only to such organizations which have been approved in this regard by the competent authority of the Contracting State concerned.

**8. With reference to Article 24**

a) It is understood that the provisions of paragraph 5 of Article 10 are not in conflict with the provisions of paragraph 2 of Article 24.

b) It is understood that the provisions of the Brazilian tax law on the limitation of deductibility of royalties, as defined in paragraph 3 of Article 12, while determining taxable income of a permanent establishment under paragraph 3 of Article 7 are not in conflict with the provisions of paragraph 2 of Article 24 of the present Convention.”

**ARTICLE 22**

1. Each of the Contracting States shall notify the other in writing, through the diplomatic channel, of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Protocol.

2. This Protocol shall enter into force on the 30th (thirtieth) day after the date of the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and shall have effect:

a) in India:

in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April immediately following the calendar year in which the Protocol enters into force;

b) in Brazil:

(i) in respect of taxes withheld at source, to amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year immediately following that in which the Protocol enters into force;

(ii) in respect of other taxes covered by the Convention, for the taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year immediately following that in which the Protocol enters into force.

**ARTICLE 23**

This Protocol shall cease to have effect at such time as the Convention ceases to have effect in accordance with Article 29 of the Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Brasillia this 24<sup>th</sup> day of August, 2022 in duplicate in the Hindi, Portuguese and English languages, all three tests being equally authentic. Incase of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

**FOR**

**THE FEDERATIVE REPUBLIC OF  
BRAZIL**

\_\_\_\_\_  
**CARLOS ALBERTO FRANCO FRANCE**

**FOR**

**THE REPUBLIC OF INDIA**

\_\_\_\_\_  
**S. JAISHANKAR**  
**EXTERNAL AFFAIRS MINISTERS**